7. कारगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 01.04.1999 के पश्चात् विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों/पैरा मिलट्री फोर्स के शहीद सदस्यों/युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृति वर्ष 2008–09 हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण

विषयान्तर्गत उल्लेखित श्रेणी के राजस्थान के मूल निवासी आश्रितों को राज्य सरकार के आदेशानुसार दी जाने वाली छात्रवृति वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के आश्रित छात्र/छात्राओं/महिलाओं को कक्षा 1 व 12 तक अध्ययनरत रहने की स्थिति में प्रतिवर्ष 1800/– रूपये प्रति छात्र/छात्रा छात्रवृति राशि स्वीकृत की जावेगी। उपरोक्त श्रेणी के छात्र/छात्रा को नियमित रूप से सरकारी/गैरसरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। वर्ष 2008–09 हेतु इस योजना का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

1	शहीद/स्थायी विकलांग सैनिक के आश्रितों द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र भर कर देने की तिथि	15.07.2008
2	संस्था प्रधान द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	23.07.2008
3	प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशालय, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र समेकित सूचना प्रस्तुत करने की तिथि	31.07.2008

शहीद/स्थायी विकलांग सैनिक के आश्रित छात्र/छात्रा अपने जिले के संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से आवेदन पत्र पर प्रति हस्ताक्षर करवाकर अपने संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र का प्रपत्र–4 संलग्न है। आवेदन पत्र के निर्धारित कॉलमों की पूर्ति भलि–भांति करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

उक्त श्रेणी के छात्र/छात्रा को राज्य सरकार से अन्य छात्रवृति का लाभ देय नहीं होगा अथवा अन्य छात्रवृति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को यह छात्रवृति देय नहीं होगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सहित निम्नानुसार प्रेषित की जावेगी। **आवेदन पत्र एवं अन्य पत्रादि निदेशालय को नहीं भिजवायी जाए। उन्हें अपने कार्यालय अभिलेख में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज कर रिकार्ड में रखा जायेगा। निदेशालय को सिर्फ निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सूचना भिजवायी जाए।**

निर्धारित प्रपत्र (सत्र 2008–09)

क्र. सं.	छात्र–छात्रा एवं शहीद/स्थायी विकलांग सैनिक का नाम एवं पूरा पता	शहीद/सैनिक के स्थायी विकलांग होने की दिनांक	कक्षा	विद्यालय का नाम	प्रस्तावित राशि
1					
2					

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या .... से .... तक कुल (संख्या अंकित करें) के प्रकरणों की जांच व्यक्तिगत रूप से कर ली गयी है तथा सही पायी गयी है। समस्त आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है एवं समस्त आवेदन पत्रों को कार्यालय में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज कर आवेदन पत्र रिकार्ड में रख दिए गए हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा अन्य कोई छात्रवृति प्राप्त नहीं कर रहा है। प्रति छात्र–छात्रा 1800/– रूपये छात्रवृति स्वीकृत करने की अभिशंसा की जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी का पद नाम मय मोहर

प्रपत्र–4 ''क''

करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् दिनांक 01.04.99 एवं इसके पश्चात् विभिन्न युद्धों तथा अन्य विभिन्न इन्सरेन्सीज काउंटरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों हेतु छात्रवृति आवेदन पत्र

1. शहीद/स्थायी विकलांग सैनिक का नाम
2. शहीद/स्थायी विकलांग होने की तारीख
3. रैंक/यूनिट नम्बर
4. शहीद/स्थायी विकलांग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें
5. उत्तराधिकारी (फौज के अभिलेख अनुसार) प्रतिलिपि संलग्न करें। उत्तराधिकारी के निवास स्थान का पूर्ण पता भी लिखा जावें।
6. शिक्षार्थी का नाम व शहीद के साथ संबंध (आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जावें)
7. कक्षा जिसमें अध्ययनरत है तथा विद्यालय का नाम व पूर्ण पता भी लिखें।

प्रति हस्ताक्षर (जिला सैनिक कल्याण अधिकारी) | हस्ताक्षर विद्यार्थी | हस्ताक्षर अभिभावक

मूल प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) .... को प्रस्तुत कर निवेदन है कि छात्र/छात्रा इस विद्यालय/संस्था की कक्षा .... में शैक्षणिक वर्ष (.........) अन्तर्गत अध्ययनरत है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय सील

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी ....

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र जांच उपरांत सही पाया गया है तथा इसका इन्द्राज संबंधित रजिस्टर में कर आवेदन पत्र रिकार्ड पर रख लिया गया है। संबंधित छात्र/छात्रा छात्रवृति हेतु नियमानुसार पात्र है।

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) मय सील